

प्रारूप - 19

परियोजना का नाम - एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय एवं गुजर बस्ती पेयजल योजना

प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 20-06-17 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन भूमि तथा नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई।

प्रस्तावित वन भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का भूमिवार/प्रजातिवार/व्यास वार विवरण।

क्र.सं.	भूमि की श्रेणी	वन ब्लॉक/कम्पार्टमेंट/खसरा संख्या	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग								
					20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	योग
1	आरक्षित वन भूमि	तिलवाड़ी न. 8.9	शाल/बालू										
2	सिविल सोयम												
3	वन पंचायत												
4	संरक्षित वन												
	योग- वन भूमि												
5	नाप भूमि												
	कुल योग-												

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पतन किया जाना अपरिहार्य है।

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
चक्रवर्ती वन प्रभाग
कालसी

ह0/-
प्रयोक्ता एजेन्सी

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
ह0/-
चक्रवर्ती वन प्रभाग
कालसी

ह0/-
राजस्व विभाग

ह0/-
जिला माजिस्ट्रेट
देहरादून

उप-वन क्षेत्राधिकारी
श्रीवर राजि डाकपत्थर
चक्रवर्ती वन प्रभाग, चक्रवर्ती

उप-निर्वाहिकारी
कालसी

ह0/-
चक्रवर्ती

ह0/-
तहसीलदार
कालसी

प्रारूप - 20

परियोजना का नाम - एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय एवं गुजर बस्ती पेयजल योजना

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन

आरक्षित वन भूमि / सिविल सोयम भूमि / वन पंचायत भूमि / संरक्षित वन भूमि / नाप भूमि

क्र०सं०	वृक्ष प्रजाति का नाम	व्यास वर्ग	वृक्षों की संख्या	दर	कुल मूल्य
		20-30			
		30-40			
		40-50			
		50-60			
		60-70			
		70-80			
		80-90			
		कुल योग			


 वन क्षेत्राधिकारी
 रीवर रोड, डाकपत्थर
 राजी अधिकारी
 चकराता वन प्रभाग, चकराता


 उप-प्रभागीय वनाधिकारी
 चकराता वन प्रभाग
 कालसी


 प्रभागीय वनाधिकारी
 चकराता वन प्रभाग
 चकराता (विहरादून)

नोट- आरक्षित वन भूमि/सिविल सोयम भूमि/वन पंचायत भूमि/संरक्षित वन भूमि/नाप भूमि के लिये उपरोक्त मूल्यांकन अलग-अलग करना होगा।

प्रारूप - 20.1

परियोजना का नाम - एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय एवं गुजर बस्ती पेयजल योजना

प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश

क्र० सं०	भूमि का प्रकार	व्यास वर्ग								योग
		20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	आरक्षित वन भूमि									
2	सिविल सोयम									
3	वन पंचायत									
4	संरक्षित वन									
	योग-									
	वन भूमि									
5	नाप भूमि									
	कुल योग-									


 वन क्षेत्राधिकारी
 हो/- राजि डाकपत्थर
 चकराता वन प्रभाग, चकराता


 उप-प्रशासी वनाधिकारी
 चकराता वन प्रभाग
 चकराता


 प्रभासी वनाधिकारी
 हो/-
 चकराता वन प्रभाग
 चकराता दिहरावना

प्रारूप - 21

परियोजना का नाम - एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय एवं गुजर बस्ती पेयजल योजना

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण

क्र०सं०	भूमि की श्रेणी	विद्यमान वृक्षों की संख्या	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या	विवरण
1	आरक्षित वन भूमि	—	—	—
2	सिविल सोयम	—	—	—
3	वन पंचायत	—	—	—
4	संरक्षित वन	—	—	—
	योग - वन भूमि	—	—	—
5	नाप भूमि	—	—	—
	कुल योग-	—	—	—

प्रमाणित किया जाता है, कि परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले कुल वृक्षों में से वास्तविक रूप से केवल वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

ह०/-
प्रयोक्ता एजेन्सी

वन क्षेत्राधिकारी
रीवर राजि डाकपत्थर
चकराता वन प्रभाग, चकराता

प्रभागीय वनाधिकारी
ह०/-
चकराता वन प्रभाग
प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता (देहरादून)

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
कालसी

प्रारूप - 22

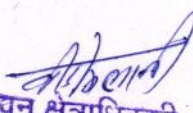
परियोजना का नाम - एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय एवं गुजर बस्ती पेयजल योजना

वन संरक्षक द्वारा दिये जाने वाले बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन के लिये अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक को स्थलीय किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान परियोजना के निर्माण से बांज प्रजाति के निम्न वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

क्र.सं.	भूमि की श्रेणी	वन ब्लॉक / कम्पार्टमेंट / खसरा संख्या	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग								योग
					20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	आरक्षित वन भूमि		बांज										
2	सिविल सोयम		बांज										
3	वन पंचायत		बांज										
4	संरक्षित वन		बांज										
	योग- वन भूमि												
5	नाप भूमि		बांज										
	कुल योग-												

उपरोक्तानुसार गणना किये गये बांज वृक्षों का पातन परियोजना के निर्माण हेतु किया जाना अपरिहार्य है।


वन क्षेत्राधिकारी
रीवर राजि डाकपत्थर
चक्राता वन प्रभाग, चक्राता


उप-प्रभागीय वनाधिकारी
चक्राता वन प्रभाग
कालसी

ह0/-
वन संरक्षक


प्रभागीय वनाधिकारी
चक्राता वन प्रभाग
चक्राता (देहरादून)

प्रारूप - 23

परियोजना का नाम - एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय एवं गुजर बस्ती पेयजल योजना

प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रयोक्ता एजेन्सी एवं प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से आवेदित भूमि पर कोई वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे है।

ह0/-
प्रयोक्ता एजेन्सी
निर्माण विभाग, जिला निगम
(देहरादून)

वन क्षेत्राधिकारी
रीवर राजि डाकपत्थर
चक्राता वन प्रभाग, देहरादून

ह0/-
प्रभागीय वनाधिकारी

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
चक्राता वन प्रभाग
देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी
चक्राता वन प्रभाग
देहरादून

प्रारूप - 24

परियोजना का नाम - एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय एवं गुजर बस्ती पेयजल योजना

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है, व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

अधिशारी अभिलेखिता
निर्माण शाखा, हो/—
प्रयोक्ता एजेन्सी

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
चक्रवर्तन वन प्रभाग
कालसी

प्रभागीय वनाधिकारी
हो/—
प्रभागीय वनाधिकारी
चक्रवर्तन (दिहरादून)

प्रारूप - 47

परियोजना का नाम - एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय एवं गुजर बस्ती पेयजल योजना

प्रस्तावित कार्य हेतु गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता हो तो भूमिधर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं भूमिधरों का भूमिधर होने का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना है।

लाख नदी

ह0/-
भूमिधर

ह0/
राजस्व विभाग नाम
पद एवं मुहर सहित

प्रारूप - 46

परियोजना का नाम - एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय एवं गुजर बस्ती पेयजल योजना

परियोजना स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों/पथ वृक्षारोपण/100 वृक्षों/काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में दस गुना वृक्षों/बौनी प्रजातियों के वृक्षों के रोपण का प्राक्कलन संलग्न किया जाना है (जो भी लागू हो)।

लागू रहे

Be